

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018/डी-8

जयपुर, दिनांक : 24.10.2018

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10398/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 के निर्देशानुसार में डा. दिलीप सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल, जालौर का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला चिकित्सालय, जैसलमेर में रिक्त पद पर तुरन्त किया जाता है।

उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोक हित में किया गया है। अतः इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा कमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश निर्वाचन विभाग के पत्र कमांक : प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8302 जयपुर दिनांक 24.10.2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जालौर
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव